सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 22.06.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये 02 शातिर चोरों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 73 मोबाइल फोन, मोबाइल से संबंधित सामग्री, 01 पैशन प्रो मोटरसाइकिल (चोरी की), ऑटो मोबाइल पार्ट्स,01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 38,000/- रुपये नकदी की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना इकदिल पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.06.2024 को वादी ऋषि यादव पुत्र कृष्ण कुमार यादव निवासी पुराना भरथना थाना भरथना इटावा द्वारा थाना इकदिल पर सूचना दी गयी कि दिनांक 20/21.06.2024 की रात्रि को 03 अज्ञात चोरों द्वारा पेट्रोल पम्प के लॉकर से 74,000/- रुपये व 01 मोबाइल चोरी कर लिया है **सूचना पर तत्काल थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 160/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।**

वादी प्रवीण कुमार पुत्र रुस्तम सिंह निवासी ग्राम महातुआ चितभवन थाना इकदिल जनपद इटावा द्वारा थाना इकदिल पर सूचना दी गयी कि ग्राम केशोपुरकलां स्थित कपडे की फैक्ट्री में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गयी है **सूचना पर तत्काल थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 161/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 21/22.06.2024 की रात्रि को थाना इकदिल पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर चितभवन नहर पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि पेट्रोल पंम्प पर चोरी करने वाले अभियुक्त मोटरसाइकिल से इसी ओर आ रहे हैं पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना पर सघनता से चैकिंग की जाने लगी इसी दौरान 01 मोटर साइकिल आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा मोटर साइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया गया जिन्हें पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 02 अभियुक्तों को **चितभवन नहर पुल के पास से समय करीब 03.50 बजे** गिरफ्तार किया गया।

नोटः- 01 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों की नाम पता पूछते हुये तालाशी ली गयी तो **अभियुक्त विकास गोयल** के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 21500/- रूपये व 01 मोबाइल बरामद किया गया एवं **अभियुक्त असित उर्फ धुनुआ** के कब्जे से 01 प्लास्टिक की बोरी तथा 16,500/- रुपये बरामद किये गये। प्लास्टिक की बोरी में रखे सामान में 73 मोबाइल नये पुराने, 11 चार्जर, 27 मोबाइल बैटरी, 04 इयर फोन, 03 ब्लूटूथ स्पीकर, 01 मोटरसाइकिल पैसन प्रो, मोटरसाइकिल के पार्टस, 15 लोवर, 10 टी शर्ट बरामद की गयी । बरामदगी के संबंध में कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम तीनों ने मिलकर ग्राम केशोपुरकलां में स्थित कपडों की फैक्ट्री से लोवर टी शर्ट तथा रुपयों के संबंध में बताया कि हमने यह रुपये भरथना रोड स्थित मंजुला पेट्रोल पम्प से चोरी किये थे और बताया कि थाना बसरेहर स्थित मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी किये तथा मोटरसाइकिल भी वहीं से चोरी की थी। **जरिये आरटी थाना बसरेहर पर जानकारी की गयी तो मोबाइल दुकान की चोरी के संबंध में दिनांक 16.06.2024 को वादी महेन्द्र सिंह शाक्य की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 47/2024 धारा 380/457 भादवि तथा मोटरसाइकिल के संबंध में दिनांक 11.06.2024 को वादी अवधेश कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 46/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।**

उक्त गिरफ्तारी एवं बरादमगी के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2024 धारा 380/457 भादवि एवं मु0अ0सं0 161/2024 धारा 380 भादवि थाना बसरेहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2024 धारा 379 भादवि एवं मु0अ0सं0 47/2024 धारा 380/457 भादवि में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

एवं बरामद अवैध तमंचे के संबंध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. विकास गोयल पुत्र भोले गोयल निवासी नगला मनी थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 20 वर्ष।**
2. असित उर्फ धुनुआ पुत्र सर्वेश यादव निवासी नगला मनी थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 18 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0162/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त विकास गोयल पुत्र भोले गोयल

1. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 379 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 47/2024 धारा 380/457 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 160/2024 धारा 380/457 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 380 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा
5. मु0अ0सं0162/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा।

अभियुक्त असित उर्फ धुनुआ पुत्र सर्वेश यादव

1. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 379 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 47/2024 धारा 380/457 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 160/2024 धारा 380/457 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 380 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा

बरामदगी-

1. **01 अवैध तमंचा 315 बोर**
2. **02 जिंदा कारतूस 315 बोर**
3. **73 मोबाइल चोरी किये गये**
4. **11 चार्जर**
5. **27 मोबाइल बैटरी**
6. **04 इयर फोन**
7. **03 ब्लूटूथ स्पीकर**
8. **01 मोटरसाइकिल पैसन प्रो**
9. **मोटरसाइकिल के पार्टस**
10. **19 बैरिंग छोटे बडे**
11. **03 ब्रेक सू**
12. **03 टाइमिंग चैन**
13. **15 लोवर**
14. **10 टी शर्ट**
15. **38,000/- रुपये नकद**

पुलिस टीम –निरीक्षक श्री भीम सेन पौनिया प्रभारी थाना इकदिल, उ0नि0 राजवीर सिंह, उ0नि0 मोहन सिंह, का0 संदीप कुमार, का0 ललित कुमार।